

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/यो0-31-42/2013.....^{०८}/जे0, पटना, दिनांक^{०९-०१-१८}
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सहरसा तथा भागलपुर।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0008-त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) के अन्तर्गत 2802-संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकार कुल-17,30,500/- (सतरह लाख तीस हजार पाँच सौ) रुपये का आवंटन की स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का व्यौरा ॥

क्र०सं०	न्यायमंडल का नाम	आवंटन की राशि (रूपये में)	पत्र का प्रसंग
1	सहरसा	7,30,500/- (सात लाख तीस हजार पाँच सौ)	196/24.11.2017
2.	भागलपुर	10,00,000/- (दस लाख)	
	कुल-	17,30,500/- (सतरह लाख तीस हजार पाँच सौ) रुपये।	

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0008-त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) के अन्तर्गत संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-942/वि0, दिनांक-01.09.2017 के द्वारा प्रथम अनुपूरक के माध्यम से स्वीकृत उपबंधित राशि से नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050008 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

^{०८}
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/यो0-31-42/2013.....^{०८}/जे0, पटना, दिनांक^{०९-०१-१८}

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा तथा भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

^{०८}
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/यो0-31-42/2013.....^{०८}/जे0, पटना, दिनांक^{०९-०१-१८}

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा तथा भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

^{०८}
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/यो0-31-42/2013.....^{०८}/जे0, पटना, दिनांक^{०९-०१-१८}

प्रतिलिपि:- विभागीय आईटी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

^{०८}
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

^{०८}